**उत्तरी क्षेत्र में रबी की फसल की खरीद के लिए लक्ष्य**

645. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
**श्री राम जेठमलानी :**

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अतिरिक्त कृषि उत्पादन क्षेत्र पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए रबी की फसल में वसूली का लक्ष्य सरकारी संस्थानों के लिए निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों के लिए क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि संबंधित राज्यों के अधिकारियों ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी असमर्थता जाहिर की है; और

(घ) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं और क्या सरकार इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का विचार रखती है ?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) :** (क) और (ख) पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अधिशेष राज्यों में रबी की फसल में केन्द्रीय पूल के लिए केवल गेहूं की वसूली की जाती है । वसूली के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं क्योंकि भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों तथा उनकी एजेन्सियों द्वारा सरकार के समर्थन मूल्य पर किसानों द्वारा स्वेच्छा से की गई पेशकश के प्रति गेहूं की वसूली की जाती है । किसानों द्वारा पेश किया गया और विहित मानकों के अनुरूप सभी गेहूं की वसूली एजेन्सियों द्वारा वसूल कर लिया जाएगा ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

**दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया जाना**

646. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अनेक अनधिकृत आवासीय कालोनियां है;

(ख) यदि हां, तो 1988 के अंत तक ऐसी कालोनियों की संख्या कितनी थी और उनमें अनुमानतः कितने लोग रह रहे थे;

(ग) क्या सरकार ने इन कालोनियों को नियोजित करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) तथा (ख) अन्तिम तिथि फरवरी/जून, 1977 के बाद अनधिकृत कालोनियों तथा उनमें रह रहे लोगों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता ।

**दिल्ली में सिटी सेन्टरों का विकास**

647. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण से दिल्ली में सिटी

सेन्टरों का अविलम्ब विकास करने के लिए कहा गया है;

(ख) इन सिटी सेन्टरों के निर्माण के संबंध में विस्तृत योजनायें क्या हैं और क्या इनके निर्माण के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) से (ग) सिटी सेन्टरों के विकास के लिये कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं । तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण जिला केन्द्रों का विकास कर रहा है । 4 जिला केन्द्र लगभग पूर्ण होने वाले हैं और अन्य 3 जिला केन्द्र विकास की अग्रिम अवस्था में है । वजीरपुर जिला केन्द्र के लिए विस्तृत नक्शे दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दिये गये हैं । 6 जिला केन्द्र अभिकल्पन (डिजाइन) की अवस्था में हैं ।

**Assistance to Mobile Fair Price Shops in Madhya Pradesh**

648. SHRI AJIT P. K. JOGI; Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) the amount of assistance given by Government for the supply of essential commodities through mobile fair price shops in Adivasi areas of Madhya Pradesh;

(b) whether the State Government has asked for more assistance in this regard:

(c) if so, what is the reaction of Government thereto;

(d) whether Government are aware that the supply of the essential commodities to Adivasis can be made available only through the mobile Fair Price Shops in remote hilly areas and the permanent Fair Price Shops in such Adivasi areas do not have any effective role to play: and

(e) if so, whether any additional assistance is likely to be provided for this purpose?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI D. L. BAITHA): (a) to (d) The Department of Civil Supplies has advised the States/UTs including Madhya Pradesh, from time to time that in areas which cannot be covered by static fair price shops, mobile vans may be introduced to cater to the needs of the consumers residing in hilly, remote, far-flung, desert, tribal and inaccessible areas. The Department is also operating a Plan Scheme to provide financial assistance to the States/UTs for purchasing vans to be operated as mobile shops for supply of essential commodities in such areas. The assistance provided in on 75 per cent loan and 25 peT cent subsidy feasis.

Government of Madhya Pradesh has been provided financial assistance under the above scheme, as per details given below:

(Rs. in lakhs)

| Year | Amount Sanctioned | No. of vehicles |
|---|---|---|
| 1985-86 | 37.00 | 20 |
| 1987-88 | 30.00 | 12 |

(e) During 1988-89, an amount of Rs. 30 lakhs was sanctioned to the Madhya Pradesh Government for purchase of 12 vehicles The State Government has. however, expressed its inability to accept this amount (for 1988-89), as the State Civil Supplies Corporation which was to utilise the amount has expressed their unwillingness to ake the amount on the ground that it is on 75 per cent loan basis. Any request, if received, in future would also be considered.

12 NOON

[The Deputy Chairman in the Chair. J

**PAPERS LAID ON THE TABLE**

**Report and Accounts (1987 88) of the National Centre for Management of Agricultural Extension, Hyderabad and related papers.**

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI